

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/पोक्सोएक्ट/मादक पदार्थ/अन्य से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-

थाना-मेहनाजपुर

एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द तिवारी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 28/29.09.2020 को उ.नि.हरिद्वार मौर्या मय हमराहीयान के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र एवं रात्री गस्त क्षेत्र इटैली में पहुंचे जहां पर रात्री गस्त में लगे का.अरुण कुमार ,का.रजत दीक्षित मिले जिन्हें अपने साथ गाडी में लेकर रात्री गस्त सिधौना बाजार करते हु ए खुम्भादेवरी मोड़ से ग्राम नोनीपुर की तरफ आ रहा थे कि ग्राम नोनीपुर नहर पुलिया के पास गाडी पहुंचते ही नहर पुलिया पर बैठा व्यक्ति अचानक पुलिस की गाडी देखकर भागने लगा कि शक होने पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से करीब 15 से 20 कदम भागते भागते घेरकर पकड लिया गया पकडे गए व्यक्ति का नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो बार-बार गलती की माफी मांगते हुए अपना नाम करन यादव S/O प्रकाश यादव ग्राम लौलहा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर बताया तथा यह भी बताया कि साहब मै कट्टा व कारतूस लिया हूँ कि अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुये व कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त :

करन यादव S/O प्रकाश यादव ग्राम लौलहा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

विवरण बरामदगी :

एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर मय 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

मु.अ.सं.95/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. SI हरिद्वार मौर्या
2. हे.का. प्रदीप पाण्डेय
3. का. पारसनाथ
4. का. अरुण कुमार यादव
5. का. रजत दीक्षित थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

एक अदद नाजायज देशी पिस्टल व 03 अदद जिन्दा कारतूस 9 MM के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

उ0नि0 शनि थापा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ मय हमराह का0 विनय प्रताप सिंह , का0 राजन कुमार के देखभाल क्षेत्र रात्री गस्त चेकिंग डियूटी क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली एक व्यक्ति अवैध शस्त्र लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए बूढ़नपुर चौराहे पर मौजूद है मुखबिर खास की सूचना पर पर विश्वास करके बूढ़नपुर चौराहे पर पहुंचे तो एक व्यक्ति चौराहे पर अकेले खड़ा है बार बार हाइवे के दोनों तरफ देख रहा है जैसे ही पुलिस वालो को देखा अचानक कोयलसा बाजार जाने वाले रोड पर मुड़कर तेज कदमो से भागने लगा जिसको हमराह कर्मचारीगण के सहयोग से करीब 50 मीटर जाते जाते दौड़ाकर समय करीब 8.00 बजे बूढ़नपुर चौराहे से पकड लिया गया | अभियुक्त उपरोक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम गोपाल सिंह पुत्र स्व0 त्रिभुवन सिंह निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद देशी पिस्टल व 3 अदद जिन्दा कारतूस 9 MM नाजायज बरामद हुआ | जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर

आज दिनांक 29.09.2020 को मु0अ0सं0 128/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त पूछने पर बताया कि मेरी पुरानी दुश्मनी है इसलिए अपने पास अवैध असलहा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोपाल सिंह पुत्र स्व0 त्रिभुवन सिंह निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया

बरामदगी

एक अदद नाजायज देशी पिस्टल व 03 अदद जिन्दा कारतूस 9 MM

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 128/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 226/14 धारा 302 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 212/96 धारा 323/506 IPC व 3(1)10 SC/ST ACT

थाना- गम्भीरपुर

अपहृता बरामद व अभियुक्त गिरफ्तार

आवेदक श्रीसुग्रीव राय पुत्र स्व0 तीर्थराज राय ग्राम मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना पर दिनांक 12.09.20 को समय 4.15 बजे उनकी भतीजी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा मु0अ0सं0 154/20 धारा 363,366,120B भादवि दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण आज दिनांक 2 9.09.2020 को उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराहका0 भानू प्रताप यादव के रवाना शुदा रो0आम तारीखी सहरोजा से मु0अ0सं0 15 4/20 धारा 363,366,120B भादवि से सम्बन्धित अपहृता को बरामद किया गया तथा अभियुक्त सूरज तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ को समय 14.00 बजे गोसाई की बाजार नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अभियुक्त सूरज तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि साहब मुझ से गलती हो गयी है। मैं इस लड़की से काफी दिनों से फोन पर बातें करता था। इसी बीच दिनांक 12.09.20 को मैं उस को लेकर चला गया था। साहब लड़की मेरे ही गाँव की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी गलती की बार- बार माफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 154/20 धारा 363,366,120B, भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त–

सूरज तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी मईखरगपुर थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य व का0 भानू प्रताप यादव

थाना- बरदह

महिला के साथ छेड़खानी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 29.09.2020 को उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह का0 अनुपम सिंह , म0का0 अन्जूसिंह द्वारा मु0अ0सं0 228/20 धारा 354घ, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त हनुमान उर्फ राजू पुत्र हीरालाल सा0 शादीपुर थाना बरदह आजमगढ़ को अभियुक्त के घर के सामने समय करीब 1.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 28.9.2020 को अन्जु भारती के साथ छीटाकसी/छेडछाड किया था तथा तेजाब फेकने की धमकी दिया था

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 228/2020 धारा 354घ व 506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

हनुमान उर्फ राजू पुत्र हीरालाल सा0 शादीपुर थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संजय सिंह, का0 अनुपम सिंह, म0का0 अंजू सिंह थाना बरदह

थाना-रौनापार

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर जिसमे अभियुक्त द्वारा वादी के लड़के दीप नरायन को जान मारने की नियत से चाकू से पेट में मारने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 180/2020 पंजीकृत कराया।

गिरफ्तारी का विवरण - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में उ0नि0 रौनापार द्वारा मय फोर्स के त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 180/2020 धारा 307 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित एक नफर अभियुक्त गोविन्द उर्फ अमरजीत पुत्र सत्यनरायन निवासी उसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को उसके घर पर समय लगभग 12.50 बजे उ0नि0 मय हमराह द्वारा गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 180/2020 धारा 307 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गोविन्द उर्फ अमरजीत पुत्र सत्यनरायन निवासी उसरी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 यासीन खाँ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़